भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2578

उत्तर देने की तारीखः 05.08.2025

रोहिणी आयोग

2578. श्री राकेश राठौरः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा 2 अक्तूबर, 2017 को गठित रोहिणी आयोग ने 31 जुलाई, 2023 को अपना अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की योजना इस मानसून सत्र के दौरान उक्त प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) में उप-वर्गीकरण में आरक्षण का लाभ अधिक निष्पक्ष रूप से मिल सकता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय में सबसे ज्यादा पिछड़े वर्गों के लिए एक अलग उप-कोटा निर्धारित करने की योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (च): न्यायमूर्ति जी. रोहिणी की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण की जांच करने के लिए गठित आयोग को ओबीसी के उप-वर्गीकरण की आवश्यकता की जांच करने का कार्य सौंपा गया था और इसने 31 जुलाई, 2023 को माननीय राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

*****